

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 06.01.2023

रि.या.(सि.) 13556/2021

वीरेंद्र कुमार

....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य

...प्रत्यर्थागण

इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता:

याचिकाकर्ता के लिए: सुश्री विभा शर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्था के लिए: सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, कें.स.स्था.अधि.  
सह सुश्री पिकी पवार, प्र-1 और 2 के  
लिए अधिवक्ता।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा

माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश भटनागर

निर्णय

न्या., श्री संजीव सचदेवा (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता ने वायु सेना अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 92 (i) और वायु सेना

आदेश 03/2013, दिनांक 06.02.2013 को संविधान के अधिकारातीत होने के कारण इसे रद्द करने की मांग की है और वायुसेनाध्यक्ष एवं वायु सेना प्रमुख द्वारा दिनांक 17.06.2019 को पारित भरण पोषण के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 17.06.2019 का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है और इसे रद्द किया जाए ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि कथित प्रावधान असंवैधानिक हैं और आगे यह कि प्रत्यर्थी सं. 3/पत्नी ने अपने और अपने बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर कार्यवाही में इस आदेश का खुलासा नहीं किया है।

4. वह प्रस्तुत करती है कि प्रत्यर्थी सं.3 और 4 को उनके भरण पोषण के प्रयोजनों के लिए मूल रूप से रु. 15,000/- की राशि का

भुगतान किया जा रहा था, हालांकि, चूँकि उन्होंने मध्यस्थता की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया था इसलिए उक्त राशि रोक दी गई थी।

5. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी सं.3 याचिकाकर्ता की वैध रूप से विवाहित पत्नी है और प्रत्यर्थी सं.4 याचिकाकर्ता का पुत्र है। यह भी विवादित नहीं है कि जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था तब उन्हें भरण पोषण के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था, बल्कि यह स्वीकार किया गया है कि शुरू में 15,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था।

6. वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 92 (i) इस प्रकार है:-

*“92. वायुसैनिकों के वेतन और भत्तों से कटौतियां- धारा 95 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वायुसैनिक के वेतन और भत्तों में से निम्नलिखित शास्तिक कटौतियां की जा सकती हैं, अर्थात् -*

*(i) केन्द्रीय सरकार या किसी विहित अधिकारी के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या उसकी वैध अथवा अवैध संतान के भरण-पोषण के लिए या उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या संतान को दी गई किसी राहत की लागत के लिए दिए जाने हेतु कोई अपेक्षित राशि”*

7. अधिनियम की धारा 92(i) अनुबंधित करती है कि केंद्र सरकार या किसी निर्धारित अधिकारी को किसी व्यक्ति की पत्नी एवं संतान के भरण-पोषण हेतु उसको भुगतान किए जा रहे वेतन और भत्ते से कटौती करने का अधिकार है। तथापि, यह धारा अधिनियम की धारा 95 के अधीन है जो यह अनुबंधित करती है कि किसी एक माह में धारा 92 के अधीन कुल कटौती उस माह के लिए उसके वेतन और भत्तों के आधे से अधिक नहीं होगी।

8. कार्यालय आदेश 3/2013 में वायु सेना कर्मियों की पत्नी और बच्चों को भरण पोषण भत्ता देने, उसमें संशोधन करने या उसे बंद करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वायु सेना कर्मियों की पत्नी और बच्चों को भरण पोषण भत्ता

देने के लिए व्यवस्थित कदम उठाने का भी प्रावधान है। कार्यालय आदेश में भरण पोषण की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया और भरण पोषण भत्ते की मात्रा भी निर्धारित की गई है, जिसकी अनुशंसा की जानी है।

9. कार्यालय आदेश में यह भी अनुबद्ध करता है कि अधिनियम की धारा 92(i) के तहत पत्नी के लिए भरण पोषण भत्ते की अवधि एक बार में अधिकतम पांच साल होगी या सिविल न्यायालय द्वारा भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा जिस आदेश का पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार, पुत्र के संबंध में, भरण पोषण भत्ता तब तक दिया जाता है जब तक कि वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या जब तक कि उसे सिविल न्यायालय द्वारा भरण-पोषण प्रदान नहीं कर दिया जाता।

10. हम पाते हैं कि 92(i) के प्रावधान के साथ-साथ कार्यालय आदेश 03/2013 उस व्यक्ति के आश्रित परिवार के सदस्यों को

लाभकारी अनुतोष प्रदान करने वाले लाभकारी प्रावधान हैं। यह उक्त प्रावधान आश्रित परिवार सदस्यों को तत्काल लाभकारी अनुतोष प्रदान करने के लिए है एवं, वस्तुतः उनकी संबंधित याचिकाओं पर सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अध्यधीन है ।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं कि उक्त प्रावधान संविधान के अधिकारातीत हैं या याचिकाकर्ता सहित किसी भी व्यक्ति के किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

12. फलतः, हमें संविधान के अधिकारातीत होने के आधार पर उक्त प्रावधानों को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

13. जहां तक भरण पोषण प्रदान करने के आक्षेपित आदेश का संबंध है, हम देखते हैं कि बेशक, याचिकाकर्ता शुरू में पत्नी और बच्चे को 15,000/- रुपये की राशि का भुगतान कर रहा था,

लेकिन उसके बाद उसने उसका भुगतान करना बंद कर दिया है ।

सक्षम प्राधिकारी ने पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के लिए रु.

16,500/- की राशि स्वीकृत की है, जो याचिकाकर्ता के वेतन और

भत्ते का लगभग एक तिहाई है।

14. अधिनियम के प्रावधान स्वयं यह अनुबंधित करते हैं कि भरण

पोषण का आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक सिविल

न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं होता। याचिकाकर्ता के

अनुसार, भरण पोषण प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 125 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी

गई है ।

15. हमें इस आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं

मिला है, तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि सक्षम न्यायालय

द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कोई आदेश

पारित किया जाता है, तो इसमें दिनांक 17.06.2019 के आक्षेपित्

आदेश के तहत पहले से भुगतान किए जा रहे भरण पोषण को उचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

16. इस प्रकार, हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।

न्या., संजीव सचदेवा

न्या., रजनीश भटनागर

6 जनवरी, 2023/पी

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।